

भारतीय विश्वविद्यालय संघ
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय भवन,
16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

सं. ई. वी. /11/354/91/65718-908

25 जुलाई, 1991

रजिस्ट्रार,
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय ।

अधिसूचना

विषय:- राष्ट्रीय ओपन स्कूल - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
परीक्षा को मान्यता प्रदान करना ।

राष्ट्रीय ओपन स्कूल , दिल्ली-110052 की स्थापना मान्यताप्राप्त
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रणाली को संचालित करने
के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
के दिनांक 14 सितम्बर, 1990 के संकल्प संख्या एफ. 5/24/90- स्कूल-3 के द्वारा
की गई थी । राष्ट्रीय ओपन स्कूल ने अब देश के अन्य उच्चतर माध्यमिक
बोर्डों के साथ समरूपता स्थापित करने के लिए अपनी परीक्षा-योजना तथा
पात्रता की शर्तों में संशोधन किया है । अखिल भारतीय विश्वविद्यालय ने
हाल ही में आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च पाठ्यक्रमों
में प्रवेश के उद्देश्य से जमा 2 /पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा के रूप में राष्ट्रीय
ओपन स्कूल की ^{उच्चतर} माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को स्वीकृत कर लिया है ।
इस मामले को सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी में उचित कार्यवाही के लिए
लाया गया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया
निदेशक, राष्ट्रीय ओपन स्कूल , 39 कम्युनिटी सेंटर, डब्ल्यू.आई.ए. ,

.../=

अशोक विहार रोड, ११ रिंग रोड ॥ दिल्ली-110052, से सीधे ही सम्पर्क करें ।

ह0/-

१ के0सी0 कालरा १
उप सचिव

प्रति प्रेषित :

1. निदेशक, राष्ट्रीय ओपन स्कूल, दिल्ली ।
2. सचिव, सभी उच्चतर माध्यमिक बोर्ड ११२१ १
3. उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
5. सचिव, भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद, 23, आशियाना अपार्टमेंट, पीतम्पुरा, दिल्ली-34.

अनुलग्नक-1।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय भवन
16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली- 110002

के. सी. कालरा,
उप सचिव

सं. ई. वी. /11१354१/92/200201
4 मार्च, 1992

प्रिय श्री बनर्जी,

कृपया राष्ट्रीय ओपन स्कूल की परीक्षा को मान्यता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित दिनांक 20 फरवरी, 1992 के अपने अ. शा. पत्र संख्या एफ. 5-1/92 स्कूल-3 को देखें। चूंकि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मान्यताप्राप्त/समीकृत है, अतः निचले स्तर की परीक्षाओं में भी इसे अपनाने के लिए स्वीकृत किया जाता है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाय।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

ह0/-

१ के. सी. कालरा १

श्री ए. बनर्जी,
उप सचिव १ स्कूल १,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-1